

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./01/2026/ 794

दिनांक : 8/1/26

:: आ दे श ::

I

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/ कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री पवन सिंह राजपूत, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर
2	श्री रोहिताश्व गुर्जर, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर	मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर

II

निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश कुमार मीना (OWN REQUEST)	लिपिक ग्रेड द्वितीय पोक्सो न्यायालय संख्या-2, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	श्री देवेन्द्र मीना के स्थान पर
2	श्री देवेन्द्र मीना (OWN REQUEST)	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़	लिपिक ग्रेड द्वितीय पोक्सो न्यायालय संख्या-2, अलवर	श्री राजेश कुमार मीना के स्थान पर

III

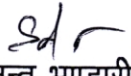
निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री पवन सिंह राजपूत, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, अलवर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, अलवर

2	श्री रोहिताश्व गुर्जर, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर	विशिष्ट न्यायालय, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, अलवर
3	सुश्री भावना वशिष्ठ, लिपिक ग्रेड द्वितीय	पोक्सो न्यायालय संख्या-2, अलवर	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर

नोट-

- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।
- 2- आदेश क्रम-I में अंकित कर्मचारीगण की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम- III में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारीगण को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।
- 3- जिन कर्मचारीगण का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है, उन्हें इस स्थानान्तरण पर योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा।
- 4- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

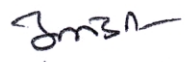

 (अनन्त भण्डारी)
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 अ ल व र

क्रमांक : स्था./2026/ 795-814

दिनांक : 8/1/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय सं. 2, अलवर
2. न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 2 अलवर
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, अलवर
5. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 अलवर/सं. 3 अलवर/सं. 5 अलवर
6. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़
7. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
8. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।


 (अनन्त भण्डारी)
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 अ ल व र